प्रेषक,

संख्या–1597 बी./क0नि0–6–2017–20(बी)–15/17

राजेन्द्र सिंह मौर्य,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0–6

लखनऊ दिनांकः 25 अक्टूबर, 2017

विषय– प्रदेश के लघु सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना का अन्तिम चरण प्रचलित है। इसके दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि फसल ऋण मोचन योजना के तृतीय चरण तक अवशेष किसानों के संबंध में भी दिनांक 01 नवम्बर, 2017 तक निर्णय लेकर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय, ताकि प्रश्नगत किसानों को भी योजना का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

2. अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्णय के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्या–1597 बी(1)/क0नि0–6–2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/आईटी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/कृषि/सूचना, उ0प्र0 शासन।
4– संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (श्री मुकेश मित्तल)
6– विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
7– महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8– स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9– विशेष सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन (श्री नील रत्न)।
10– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।